पत्रांक– 522 /उपा0

बिहार सरकार,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
पंत भवन, द्वितीय तल, पटना–1

भूकम्प सुरक्षा सप्ताह–2016
15–21 जनवरी

प्रेषक,

अनिल कुमार सिन्हा,
भा0प्र0से0 (से0नि0)
उपाध्यक्ष,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार,
–सह– अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ।

पटना, दिनांक 31-12-2015

विषयः– "भूकम्प सुरक्षा सप्ताह" (15–21 जनवरी, 2016) मनाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार –सह– अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई प्राधिकरण की 5वीं बैठक (2011) में लिये गये निर्णय एवं तत्संबंधी आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प सं0–125 दिनांक 13.1.2012 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15–21 जनवरी तक भूकम्प सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरूआत वर्ष 2012 में बिहार शताब्दी वर्ष से की गई थी। उस वर्ष विभिन्न जिलों ने काफी सराहनीय काम किया था और जिससे प्राधिकरण कार्यालय को भी अवगत कराया गया था। वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 में भी इस कार्यक्रम को जारी रखा गया एवं कई जिलों ने जन–जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये। वर्ष 2015 के अप्रैल एवं मई में नेपाल–बिहार में आये भूकम्प ने बिहार राज्य की भूकम्प के प्रति संवेदनशीलता को सत्यापित एवं इस दिशा में मिलकर कार्य करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इस भूकम्प से बिहार राज्य में जान–माल की विशेष हानि तो नहीं हुई थी परंतु भविष्य के संकेत को देखते हुए तैयारी एवं जागरूकता एकदम आवश्यक हो गई है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction-DRR) एवं जन–जागरूकता के विषय में प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है । चूंकि जिला पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे इस दिशा में अपने दायित्वों का निर्वहन करें । **इस सप्ताह के दौरान निम्नांकित कार्यक्रमों को लिये जाने का प्रस्ताव है :–**

1. विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर

इस सप्ताह में जिला के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों से जैसे– पेंटिंग प्रतियोगिता, संवाद प्रतियोगिता, Quiz प्रतियोगिता, निबंध एवं नारा लेखन प्रतियोगिता, दीवार लेखन आदि के साथ–साथ स्कूल स्तर पर जागरूकता रैली तथा साईकिल रैली निकाली जा सकती है । विद्यालयों की आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जा सकती है जिसका प्रारूप पूर्व में भी आपको भेजा गया था तथा विद्यालय/ महाविद्यालयों के स्तर पर छद्म प्रयास (मॉक ड्रिल) का भी आयोजन कराया जाना अपेक्षित है ।

2. मीडिया द्वारा प्रचार–प्रसार

आज के युग में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन–जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । अतः सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध होगा कि जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भूकम्प से बचाव के उपायों का प्रचार–प्रसार करें । साथ ही जिला के सभी सिनेमा हॉलों में एन0डी0एम0ए0 द्वारा बनायी गयी भूकम्प जागरूकता पर फिल्मों का प्रसारण हो जिसकी **सी0डी0 पूर्व में सभी जिलों को भेजी जा चुकी है ।**

3. पब्लिक–प्राईवेट पार्टनरशिप

सुरक्षा हम सबों की सामुहिक जिम्मेदारी है । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिले के अन्तर्गत आने वाले सभी कॉर्पोरेट हाउस, बिजनेस समूह तथा Indian Chamber of Commerce(ICC), Bihar Industries Association (BIA),मार्केट एसोसिएशन, India Oil Corporation Ltd. (IOCL), Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL), Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL),जिला स्तरीय व्यापार मंडल, सभी बैंकिंग संस्थान, लायंस/रोटरी एवं अन्य क्लब तथा इस तरह के समूहों का जन–जागरूकता में योगदान अत्यंत आवश्यक है। अतः सभी जिला पदाधिकारी इस तरह के सहयोग हेतु आवश्यक तैयारी कर सप्ताह को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने का प्रयास करेंगे ।

4. सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों का सहयोग

पूर्व में भी कई गैर सरकारी संगठनों ने सुरक्षा सप्ताहों में जन–जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है जिनसे इस वर्ष भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । इस वर्ष भी सभी जिला पदाधिकारी से जिले में कार्य कर रहे सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जैसे– बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप, यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रेन, ऑक्सफेम, केरीटॉस इंडिया, प्लान इंडिया इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का सहयोग भी प्राप्त करना अपेक्षित है ।

5. स्वयंसेवक संगठनों का सहयोग

पूर्व में रेडक्रॉस, बिहार ब्रांच, के स्वयंसेवकों ने पटना में जन–जागरूकता लाने में अत्यंत सराहनीय कार्य किया है तथा रेडक्रॉस की मुंगेर, कटिहार एवं रोहतास आदि जिला स्तरीय शाखाएँ भी अपने–अपने जिलों में जन–जागरूकता के लिए सराहनीय कार्य करते रहे है। हरेक जिले में रेड क्रॉस के बड़ी संख्या में प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं । इनका उपयोग न केवल "भूकम्प सुरक्षा सप्ताह" में बल्कि अन्य जन–जागरूकता के कार्यक्रमों में यथा– रैली, साईकिल रैली, मॉक ड्रिल इत्यादि में लिया जाना अपेक्षित होगा जिससे अन्य लोगों के प्रशिक्षण के साथ–साथ रेड–क्रॉस स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण का भी सही उपयोग किया जा सके । इसके अतिरिक्त सिविल डिफेंस, स्काउट एण्ड गाईड, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0 एवं नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवकों का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है ।

6. सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार–प्रसार

सार्वजनिक स्थलों पर सर्वाधिक लोगों का आना–जाना होता है जिनको भूकम्प की विभीषिका के बारे में जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है । इसलिए सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि प्रचार–प्रसार की सामग्री जैसे पोस्टर, लीफलेट, बुकलेट आदि को बटवाएं तथा बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग आदि निम्नलिखित स्थानों पर लगवाएं – जैसे हवाई अड्डा (पटना एवं गया), रेलवे स्टेशन, पंचायत भवन, लाईब्रेरी, अस्पताल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, व्यवहार न्यायालय, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल्स, हाट बाजार, प्रमुख बाजार, अनुमंडल/प्रमंडल/ अंचल कार्यालयों, रजिस्ट्री ऑफिस, नगरपालिका एवं नगर निगम के वार्डों, मोहल्ले के चौराहों इत्यादि में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें। **प्रचार–प्रसार सामग्री की छपाई हेतु सॉफ्ट कॉपी सी0डी0 संलग्न है ।**

7. थाना स्तर पर

इसके अलावा थाना स्तर पर नागरिक परिषद् के सहयोग से भूकम्प सुरक्षा के विषय पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाना अपेक्षित है ।